... गांवो के संग अभियान ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

राजस्व अपील संख्या 13/2013

अपीलान्ट

बनाम

1.पूनाराम
2.लालाराम
3.घमण्डाराम
4.देवाराम
5.अमरराम

सरपंच , ग्राम पंचाचत खटोड़ा तहसील खींवसर

पुत्रगण स्व. केशाराम (केशीया) उर्फ किशनाराम पुत्र आईदानराम जातियान सभी मेघवाल निवासी खटोड़ा तहसील खींवसर जिला नागौर ।

उपस्थिति:—

1. बाबूलाल भादू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. सरपंच, स्वय की ओर से।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस सभी सगे भाई है जो स्व. केशाराम उर्फ केशिया उर्फ किशनाराम पुत्र आईदानराम जाति मेघवाल निवासी खटोड़ा तहसील खींवसर के जायंदा पुत्रगण उतराधिकारी है तथा अपीलांटस के एक बहिन साऊ व माता चुनीदेवी है जिन्होने वादग्रस्त म्यूटेशन प्रविष्टियों में अंकित खेताय में से अपना सम्पूण हिस्सा अपीलांटस के पक्ष में हक तर्क करके उसका हक तर्कनामा दिनांक 21 जून 2011 को तहसील कार्यालय खींवसर में चलकर पंजियन करवा दिया।

पक्षकारान के पिता के नाम से पुश्तेनी व बडेर की भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा हनुमानसागर एवं खसरा नम्बर 353 रकबा 4 बीघा गे.मु ढाणी, खसरा नम्बर 354 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा खटोड़ा में रहते चले आये है जो अपीलांटस के पिता की खातेदारी में व अपीलांटास के कब्जे काश्त की भूमि है अपीलांटस के पिता का स्वर्गवास दिनांक 09.05.2011 को हो गया जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ पेश है ।

अपीलांटस ने अपने पिता के देहान्त के पश्चात अपने पिता के नाम खातेदारी भूमि को जरिये फौतगी नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी से नामान्तकरण दिनांक 29.06.2011 को खुलवाया तथा आर. आई. पांचलासिद्वा द्वारा दिनांक 01.07.2011 को जांच की गई व दिनांक 05.07.2011 को ग्राम पंचायत खटोड़ा द्वारा पाक्षिक बैठक में यह कहते हुऐ उपरोक्त दोनों नामान्तरकरणों कों खारिज कर दिया कि नामान्तकरण के सरकारी प्रमाण पत्रों में हैराफेरी के कारण खारिज किया जाता है।

उक्त नामान्तरकरण खारिज की कोई जानकारी अपीलांटस को नही थी, अपीलांटस को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की आवश्यकता हुई जिस पर अपीलांट देवाराम ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर नकले मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपके नाम तो नामान्तकरण हुवा ही नही है अभी आपके पिता के नाम से ही खातेदारी दर्ज है जिस पर नकल का आवेदन कर नकले प्राप्त की व बाद में कानूनी सलाह मशविरा किया गया जिस पर उक्त नामान्तकरण के विरूद माननीय न्यायालय में अपील करने की कानूनी राय प्राप्त होने पर अब यह अपील तैयार करके पेश की जा रही है जिससे जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है जिस हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पेश है।

आधार अपील निम्नलिखित है—

1.कि नामान्तकरण अस्वीकृत आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद व न्याय के सामान्य सिद्वातों तथा नामान्तरकरण हेतु बनी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना स्वीकृत किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

यह है कि नामान्तरकरण जैर अपील खारिज करने का मुख्य कारण सरकारी प्रमाण पत्रों में फेरी लिखा गया है जबकि कौन से सरकारी प्रमाण पत्रों में क्या हेराफेरी किस प्रकार किसके की गयी इस संबंध में कुछ भी अंकित नहीं किया है। जबकि अपीलांट्स व उसके पिता ने सी भी सरकारी प्रमाण पत्र में कोई हेराफेरी नहीं की है न ऐसी कोई बात साबित है । यहां यह खना आवश्यक होगा कि अपीलांट्स के पिता को गांव में तीन नामों यानि केशाराम, केशीया व शनाराम से पुकारा जाता रहा है इसीलिए ग्राम खटोडा स्थित भूमि की खातेदारी में केशीया दर्ज लेकिन गांव में बोलता नाम किशनाराम भी था जिससे राशनकार्ड , चुनाव परिचय पत्र आदि बने नमें किशनाराम दर्ज कर दिया व अभी जब अपीलांट के पिता का देहान्त हुआ तब ग्राम पंचायत यं ने राशनकार्ड व परिचयपत्र आदि को आधार मानकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें शनाराम दर्ज कर दिया । जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हेराफेरी व कांट–छांट नहीं है एक क्ति के दो–तीन नाम हो सकते है और पुराने रेकर्ड में अक्सर ऐसा होता था, इस प्रकार उक्त शाराम, केशीया व किशनाराम एक ही व्यक्ति है जो अपीलांट के पिता थे, बावजूद इसके मात्र लग –अलग नाम दर्ज हो रखे होने के कारण हेराफेरी मानकर नामान्तरकरण खारिज करने में ानूनी त्रुटि की है जबकि उक्त सभी दस्तावेज सरकारी विभागों व स्वयं ग्राम पंचायत खटोड़ा द्वारा द जांच जारी किये हुऐ है जिससे उक्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी होना नही ाना जा सकता है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि , हल्का पटवारी द्वारा म्यूटेशन फार्म खोलते समय ग्राम पंचायत स्वंय द्वारा जारी किया या मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 09.05.2011 तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा ही वारिस प्रमाण पत्र एवं र्कनामा का उल्लेख करते हुऐ अंकन किया है उसके आधार पर भूनिरीक्षक पांचलासिद्वा द्वारा उक्त भी तथ्यों के संबंध में जांच की गयी जो सही पाया गया । फिर भी ग्राम पंचायत खटोड़ा द्वारा लत रूप से राजनेतिक द्वैषतावश बिना किसी कारण के सरकारी प्रमाण पत्रो में हेराफरी को आधार ताकर नामान्तरकरण खारिज किया है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया होने से खारिज किये ाने योग्य है।

. कि नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति ने कोई आपति नहीं की न कथित हेराफेरी होना ताया है ग्राम पंचायत ने बिना किसी की आपति के मनमर्जी से गलत आधार मानकर ामान्तरकरण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

. कि अन्य उजर बरवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण जैर पील अपास्त किया जाकर उक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स का नाम बतौर वारीस व. केशाराम उर्फ केशीया उर्फ किशनाराम दर्ज करवाया जावे।

उक्त प्रकरण में **प्रशासन गावों के सगं अभियान ग्राम पंचायत खटोड़ा कैम्प कोर्ट में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया**। रेस्पोडेन्ट व अपीलांट एवं अपीलांट संख्या 1 के कायम मुकाम उपस्थित आये। समस्त अपीलांटस ने उल्लेख किया कि हमारे पिता का नाम केशाराम उर्फ केशीया उर्फ किशनाराम है जो तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत खटोड़ा ने अपना अनापति प्रमाण पत्र पेश कर यह बताया कि केशाराम उर्फ केशीया पुत्र आईदान राम निवासी खटोड़ा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है तथा बताया कि केशाराम उर्फ केशीया का नाम किशनाराम होता है तो ग्राम पंचायत खटोड़ा को कोई आपति नही है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत खटोड़ा में **अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अपीलांट संख्या 1 पूनाराम पुत्र स्व.श्री किशनाराम की मृत्यु 04.10.2018 को होना** बताया तथा इस संबंध में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया तथा इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया गया कि अपीलांट संख्या 1 के विधिक वारिसान निम्नानुसार है–

नाम	संबंध	नाम	संबंध	नाम	संबंध
1 सोहनी	पत्नी	4. सोनाराम	पुत्र	7 कमला	पुत्री
2 ताजाराम	पुत्र	5 पपुराम	पुत्र	8 इन्द्रा देवी	पुत्री
3 ओमाराम	पुत्र	6 शैतानराम	पुत्र	9 सुगना	पुत्री

09/11/21

उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई वारिस नही है तथा अपीलांटस के पिता स्व.श्री किशनाराम के ... नाम वारिसान अपीलांट्स के दर्ज करें।

उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई वारिस नही है तथा अपीलांट्स के पिता स्व.श्री किशनाराम के ...त म्यूटेशन भरवाने के कृपा करें।

साथ ही स्व.श्री किशनाराम एवं स्व.श्री पूनाराम के सभी वारिसान **कैम्प कोर्ट प्रशासन गावों ... संग अभियान खटोड़ा में उपस्थित आए**, मजमेआम सभी की पहचान की गई, सभी के पहचान ...त्र की प्रति (स्वप्रमाणित आधार कार्ड) पेश किए तथा वारिसान पर आपति हेतु मजमेआम अदालत ... पूछताछ की गई।

प्रकरण में अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट के कथनो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक ...वलोकन किया गया तथा प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्राम पंचायत खटोड़ा लोक अदालत में ...जमेआम पूछताछ एवं सुनवाई पर मनन किया गया जिससे यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है ...क स्व. श्री किशनाराम का ही राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या – 14 के खसरा नम्बर 208 में केशाराम ...त्र आईदानराम तथा खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 354, 353 में नाम केसीया, केशाराम रहा ... तथा स्व.श्री किशनाराम की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरा ...ाना न्यायोचित है।

अतः यह न्यायालय अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है तथा आदेश ...दिया जाता है कि –

आदेश

अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अपील न्यायालय में विचाराधीन नामान्तरकरण ...पास्त किये जाकर तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है कि अपीलाटस के पिता स्व.श्री ...केशनाराम पुत्र स्व.श्री आईदानराम जिनका नाम राजस्व रिकोर्ड खाता संख्या–14 के खसरा नम्बर ...08 में केशाराम पुत्र आईदानराम तथा खाता संख्या–20 के खसरा नम्बर 354, 353 में केसीया पुत्र ...आईदान है जो कि एक व्यक्ति है जिनका राजस्व रिकोर्ड में नाम स्व.श्री किशनाराम पुत्र श्री ...आईदानराम जाति मेघवाल किया जाकर अपीलांट्स जो स्व. श्री किशनाराम के विधिक वारिसान है–
...पूनाराम पुत्र किशनाराम फौत (04.10.2018) के विधिक वारिसान –

	नाम	संबंध
i.	सोहनी	पत्नी
ii.	ताजाराम	पुत्र
iii.	ओंमाराम	पुत्र
iv.	सोनाराम	पुत्र
v.	पपुराम	पुत्र
vi.	शैतानराम	पुत्र
vii.	कमला	पुत्री
viii.	इन्द्रा देवी	पुत्री
ix.	सुगना	पुत्री

2. लालाराम पुत्र किशनाराम
3. घमण्डाराम पुत्र किशनाराम
4. देवाराम पुत्र किशनाराम
5. अमराराम पुत्र किशनाराम

के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण हक त्याग पत्र क्रमांक 454 दिनांक 21.06.2011 उप ...पंजीयक खींवसर द्वारा 21.06.2021 को पंजीकृत, को ध्यान में रखते हुए **राजस्व रिकोर्ड में अमल ...दरामद 30 दिवस में करते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।**

(जीतू कुलहरी RAS)
शिविर प्रभारी PGKSA
उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर

यह निर्णय आज **दिनांक 09.11.2021 कैम्प कोर्ट** प्रशासन गांवो के **संग अभियान 2021** ग्राम ...पंचायत **खटोड़ा** में सरेइजलास सुनाया गया ।

(जीतू कुलहरी RAS)
शिविर प्रभारी PGKSA
उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर